

1483  
18/11/20

आवेदन पत्र के अन्तर्गत में जांच की गई। जिसके अनुसार  
श्री मन्नाचंद आवेदन पर अलग 214 पर पत्र व दस्तावेजों तथा  
श्री मन्नाचंद आवेदन पर परिवार संकाय पर 136 के आधार पर  
नोट शेष शेष जांच उचित है।

मोहन लाल  
सहस्रपत्र

मोहन लाल  
12/11/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

जयम पेनायत-किशोरपुर  
पं.स.-उदयपुरवाटी, झुन्डुन (राज.)

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में उर्ध्वतनुसार आवेदनक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदनक का नाम दुरुस्त किया जाना की अभिप्राय की जाती है / नहीं की जाती है।

मोहन लाल  
तहसीलदार (पु. अ.) गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्डुन (राज.)

- आदेश -

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	किशोरपुरा	1075-78	123	महावीर पु. मंगल जाति गुजरी	महावीर उस्ताद पु. मंगल राम जाति गुजरी
2.	—	—	276	महावीर पु. मंगल जाति गुजरी	—

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

मोहन लाल  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 18/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1180-81

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....

को सूचनार्थ।

मोहन लाल  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

